न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 157/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/251)

निगरानीकर्ता/प्रार्थी:–

नारायणलाल चौपडा पुत्र श्री रावतमल चौपडा हाल निवासी रावत कुंज, माण्डल हाउस, लक्ष्मीनगर, पावटा बी रोड, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:–

1. ग्राम पंचायत पालासनी जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
2. सुनिल गोदारा पुत्र श्री धर्माराम गोदारा, निवासी पालासनी, जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 80, मिसल सं. 81/2016–17 दायर दिनांक 04.01.2017 ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा दिनांक 06.07.2017 को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार (प्रार्थी की ओर से)।
2. अप्रार्थी सं. 02 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह राठौड अनुपस्थित।

–निर्णय– **दिनांक : 28.08.2025**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पालासनी, पंचायत समिति लूणी द्वारा मिसल सं. 81/2016–17 में जारी पट्टा सं. 80 दिनांक 06.07.2017 को अपास्त करने हेतु दिनांक 08.04.2024 को अपर जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर के समक्ष पेश की गई थी, जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2025 को प्राप्त होने से दर्ज रजिस्टर की गई।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत पालासनी से आक्षेपित पट्टे का अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थी सं. 2 सुनिल गोदारा की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह राठौड वगैरा ने वकालतनामा पेश किया है।
3. निगरानी याचिका में वर्णित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी का ग्राम पालासनी के आबादी क्षेत्र में पूर्वजों के नाम से जारी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पट्टासुदा आवासीय भूखण्ड स्थित है, जिसके उत्तर में कवास मगना, पूर्व में उपासरा, दक्षिण में भण्डारियों का बास का मार्ग व आथुण में निकाल है, जिसका संवत् 1927 में पट्टा जारी किया गया । इस जायदाद के चारों ओर पत्थर की दीवार प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा बनाई गई है। संवत् 1927 के पट्टे की नकल सन् 1955 में ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा ली गई। उक्त पट्टा उमाजी, पदमाजी, हिमतोजी के नाम से जारी किया गया है। रावतमल व हस्तीमल, उमाजी व पदमोजी के पोते थे एवं वर्तमान प्रार्थी रावतमल जी का पुत्र है। प्रार्थी व्यवसाय के संबंध में जोधपुर में रहते है। वर्ष 2023 में अप्रार्थी ने उक्त जायदाद पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो प्रार्थी ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसमें अप्रार्थी द्वारा उक्त जायदाद अपनी पट्टासुद बताकर पट्टे की कॉपी पेश की तब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पट्टों की कॉपी मांगी तथा पत्रावली सं. 82/2016–17 व 81/2016–17 मिली तथा एक पट्टा सं. 81 पत्रावली सं. 82 में विरेन्द्र कुमार के नाम से तथा दूसरा पट्टा सं. 80 पत्रावली सं. 81 में सुनिल कुमार के नाम से जारी होना पाया गया। उमाजी पदमाजी के नाम से जिस भूमि का पट्टा संवत् 1927 में जारी किया गया उसी का दुबारा पट्टा विरेन्द्र गोदारा के नाम से तथा उमाजी के पट्टे वाली जायदाद के बाद में स्थित रास्ते की भूमि तथा लूणकरण मूथा के पट्टे वाली जायदाद को मिलाकर नया पट्टा सुनिल गोदारा के नाम से जारी किया गया, जिन्हे निरस्त करवाने हेतु अलग–अलग निगरानियां पेश है। पट्टा जारी करने की तमाम कार्यवाही फर्जी तरीके से की है तथा पत्रावली संधारित नहीं की है। कार्यवाही रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किये है। अप्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है। दुबारा पट्टा जारी करना प्रतिबंध होने से शून्य है। अप्रार्थी 2 सरपंच का रिश्तेदार है तथा सरपंच उसकी बेटी है, इससे पहले अप्रार्थी 2 के पिता सरपंच थे। विवादग्रस्त आज़ाजी के सामने ही अप्रार्थी 2 का मकान है तथा उसे प्रार्थी के पूर्वजों का पट्टा सुद भूमि की पूरी जानकारी है।

प्रार्थी ने वर्ष 2014 व 2017 में ग्राम पंचायत के समक्ष लिखित आपत्ति पेश की थी कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि है जिसकी जानकारी दोनो सरपंचों को थी।

प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा व अप्रार्थी 2 के नाम जारी पट्टों की भूमि के पडौस समान है। एक अन्य बेचाननामा में भी पडौस प्रार्थी का दर्शाया है। संधारित पत्रावली में तमाम आदेश यांत्रिक तरीके से पूर्व में प्रिंटेड फार्मों में रिक्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

स्थानों की पूर्ति करके लिखे गये है, जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये है, वे अप्रार्थी 2 के परिवारजन ही है। इस प्रकार तमाम कार्यवाही मिलावटी तरीके से की गई है। नियम 157(1) में गलत पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी का भूखण्ड पर न तो कभी कब्जा था तथा न ही रहवासीय मकान था तथा न ही भूमि ग्राम पचांयत की थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अनाधिकार रूप से पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर समस्त कार्यवाही व पट्टा निरस्त किया जावे।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित है। अतः एक तरफा आदेश पारित किये जाते है तथा प्रकरण का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से मेरिट पर किया जा रहा है।

5. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री परिहार ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पालासनी जागीर का गांव था, जागीरदार ने संवत् 1927 में प्रार्थी के पूर्वजों को पट्टा दिया, जिसमें पडौस अंकित है तथा भूखण्ड के चारो ओर दीवार बनी हुई है। उक्त पट्टे की प्रति ग्राम पंचायत ने दिनांक 17.06.1955 को प्राप्त की। अप्रार्थी 2 द्वारा उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश करने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा दो पट्टे जारी किया जाना उजागर हुआ। पट्टा सं. 80 व 81 क्रमशः सुनील व विरेन्द्र के नाम से 2016–17 में जारी हुए है। ग्राम पंचायत ने मेकेनिकल तरीके से प्रकिया अपनाकर पूर्व में छपे फार्मस में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके खाना पूर्ति की। सरपंच, अप्रार्थी 2 की चाची है। इससे पहले अप्रार्थी 2 का पिता सरपंच था। आक्षेपित भूमि के पडौस के बेचान पत्र में भी प्रार्थी के भूखण्ड का पडौस बताया है, जो सन् 1976 की है। पूर्व में जारी पट्टों पर ही दुबारा पट्टे जारी नहीं किये जा सकते। इसी प्रकार सरपंच अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टा जारी नहीं कर सकता। अतः पट्टा निरस्त किया जावे व निगरानी स्वीकार की जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया तथा संबंधित विधि प्रावधानों का अवलोकन कर उस पर गंभीरता से विचार किया। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7. (a)प्रकरण के तथ्यों अनुसार दिनांक 04.01.2017 को सुनिल गोदारा पुत्र धर्माराम ने एक प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत पालासनी को पुश्तैनी मकान की भूमि ख. नं. 522 का विलेख जारी करने हेतु पेश किया, जिसमें नाम का अंकन नहीं है तथा निम्न पडौस दर्शाए:

उत्तर– जैन समाज का उपासरा

दक्षिण–निकाल दरवाजा व रास्ता

पूर्व में–देवराज जैन, सावराम विश्नोई वगैरा

पश्चिम–विरेन्द्र गोदारा पुत्र धर्माराम जाट

भूमि पर आधिपत्य वर्षों से होना बताया है निश्चित अवधि अंकित नहीं की है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर मिसल सं. 81 दिनांक 04.01.2017 को कायम की गई तथा नियम 145(3) के तहत नक्शा बनाने हेतु सचिव को निर्देशित किया। सचिव ने 2985.46 वर्गफीट का नक्शा बनाया जिसमें पूर्व में विरेन्द्र गोदारा दर्शाया है, जबकि प्रार्थी ने आवेदन में पूर्व दिशा में देवराज जैन वगैरा दर्शाया है।

इसी प्रकार नक्शें में पश्चिम में नवीन सुराणा वगैरा का मकान दर्शाया है जबकि आवेदन पत्र में पश्चिम दिशा में विरेन्द्र गोदारा का पडौस दर्शाया है।

(b)दिनांक 05.01.2017 को ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं. 01 पारित कर मिसल सं. 01/2016–17 से 100/2016–17 तक में ग्राम सेवक द्वारा तैयार नक्शों की पुष्टि की तथा नियम 146(2) अनुसार वार्ड पंचों की 3 सदस्यीय कमेटी को मौका निरीक्षण कर, राय देने हेतु नियुक्त किया गया।

(c)दिनांक 20.01.2017 को ग्राम पंचायत की बैठक में निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 05.01.2017 पेश की गई तथा पुश्तैनी मकानों के पट्टे बनाना उचित माना पाया तथा नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक माह की अवधि का आपत्तियां पेश करने हेतु इश्तिहार जारी करने का प्रस्ताव सं. 2 के अनुसार निर्णय लिया गया। कमेटी ने सुनील गोदारा का पुश्तैनी पुराना कच्चा/पक्का मकान बना हुआ पाया तथा 2985.46 वर्गफीट क्षेत्रफल पाया।

(d)दिनांक 20.01.2017 को मिसल सं. 81/2016–17 में प्रपत्र 22 में नोटिस जारी किया, जिसमें पडौस आवेदन पत्र में अंकित अनुसार ही दर्ज है जबकि ग्राम सेवक द्वारा तैयार नक्शें में पडौस भिन्न है। नोटिस पर सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है। परंतु यह नोटिस नियम 148 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हुआ ही नहीं है। नोटिस की परत के पीछे सिर्फ पट्टाधारी सुनील के ही हस्ताक्षर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है। चस्पा करने वाले कर्मचारी व मौतबिरान के न तो नाम अंकित है तथा न ही स्थान व चस्पा करने की तारीख का ही अंकन है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 का नियम 148 इस प्रकार है–

148. नोटिस का जारी व प्रकाशित किया जाना–

(1) यदि पंचायत अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करे कि विक्रय किया जाए, तो वह उप नियम (2) में अभिकथित रीति से प्रपत्र 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के संबंध में इसके प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए करेगी।

(2) उप नियम (1) निर्दिष्ट दो प्रतियों में नोटिस तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात् पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी।

उक्त आज्ञात्मक विधिक प्रावधानों के अनुसार कम से कम एक माह की अवधि आक्षेप पेश करने का समय प्रकाशन की तारीख से अनुमत है अर्थात् नोटिस चस्पा करने की तारीख से एक माह की अवधि देना आज्ञात्मक है तथा प्रस्तावित भूमि पर दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में नोटिस चस्पा करना जरूरी है। परंतु इस प्रकरण में यह नोटिस किस तारीख को आक्षेपित भूमि पर किस कर्मचारी द्वारा, किन–किन दो प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया, इसका कोई विवरण नोटिस की पुश्त/परत पर अंकित नहीं है।

(e)उक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये बिना ही ग्राम पंचायत ने बैठक दिनांक 06.02.2017 को प्रस्ताव सं. 3 में एक माह की अवधि पूरी होने का अंकन किया तथा अंदर म्याद किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होना अंकित किया है। प्रार्थीगणों से मकान कितने वर्षों का पुराना है, अन्य किसी का हक/अधिकार तो नहीं है, इसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी व दो गवाहों के बयान लेने का प्रस्ताव पारित किया तथा पत्रावलियां का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया तथा आगामी बैठक में पुनः एक माह पूर्ण होने पर मिसल पेश की जावे। आगामी बैठक दिनांक 20.02.2017 को हुई, जिसमें प्रस्ताव सं. 2 पारित कर पुराना कब्जा व अन्य का मालिकाना हक होने बाबत प्रार्थी व दो गवाहों के बयान लेने का प्रस्ताव लिखा हुआ है, परंतु इस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(f)दिनांक 06.03.2017 की पंचायत बैठक में प्रस्ताव सं. 4 पारित कर मिसल सं. 1 से 100 तक में 40–50 वर्ष पुराना कब्जा व पैतृक पुराना मकान बना होने का अंकन करते हुए नियम 157(क) के तहत 200 रूपये लेकर पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी है तथा राशि जमा होने पर पट्टा जारी किया जावे। इस प्रस्ताव पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है।

(g)पुराने कब्जे के सबूत में पट्टेदार सुनील स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 06.03.2017 छपे छपाये फार्म में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है, जिसके अनुसार 40 वर्ष पुराना मकान निर्मित बताया है, दो गवाहों के रूप में सुनील के पिता धर्माराम पुत्र लादूराम व कुंभाराम पुत्र लादुराम के शपथ पत्र है तथा सरपंच शकुंतला व ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित है, जो निश्चित रूप से एक ही परिवार के सदस्य है।

(h)उक्त समस्त कार्यवाही करने के पश्चात् बुक सं. 75 में पट्टा सं. 80 दिनांक 06.07.2017 को मिसल सं. 81/2016–17 दायरा तारीख 04.01.2017 में सुनील गोदारा पुत्र धर्माराम के पक्ष में प्रारूप 23क (नियम 157(1)) में 200 रूपये की राशि रसीद सं. 100 दिनांक 06.07.2017 वसूल किये जाकर प्रस्ताव सं. 04 दिनांक 06.03.2017 की पालना में दिनांक 06.07.2017 को 2985.46 वर्गफीट (331.71875 वर्गगज) ग्राम पालासनी की आबादी भूमि के खसरा सं. 522 में जारी किया गया है, जिसके पडौस इस प्रकार हैः–

उत्तर– जैन समाज का उपासरा
दक्षिण–निकाल दरवाजा व रास्ता
पूर्व में–विरेन्द्र गोदारा
पश्चिम–नवीन सुराणा वगैरा

परंतु पट्टा बुक में उपलब्ध पट्टा सं. 80 की कार्यालय प्रति पर पट्टाधारी, सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है तथा निगरानीकार ने याचिका के साथ पट्टे की, जो प्रति पेश की है, उस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है तथा पडौस ग्राम सेवक द्वारा तैयार नक्शे अनुसार है परंतु आवेदक के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व गवाहों के शपथ पत्रों में अंकित पडौसों से भिन्न है।

8. उपर्युक्त तथ्यात्मक व विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा विलेख सं. 80 दिनांक 06.07.2017 बहक श्री सुनील गोदारा, को जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

की पूर्ण पालना नहीं की गई है। प्रार्थी/आवेदक के प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र में अंकित पडौस व ग्राम सेवक द्वारा तैयार नक्शा व पट्टे में अंकित पडौस मेल नहीं खाते है। इसी प्रकार गवाह धर्माराम व कुंभाराम के शपथ पत्रों में अंकित पड़ौस व नक्शे के पड़ौस भिन है तथा धर्माराम व कुम्भाराम पट्टेदार के रिश्तेदार है, जिन्हे स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह नहीं माना जा सकता। नियम 148 के प्रावधानों की घोर अवहेलना हुई है, जिसके कारण अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां पेश करने का पर्याप्त अवसर नही मिला, जिसमें निगरानीकार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पट्टे की कार्यालय प्रति पर सरपंच व पट्टेदार के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतएव हस्तगत निगरानी स्वीकार योग्य है तथा आक्षेपित पट्टा विलेख अपास्त योग्य है परंतु हस्तगत निगरानी स्वीकार करने मात्र से ही निगरानीकर्ता को आक्षेपित भूमि पर किसी प्रकार के मालिकाना हक, टाईटल, स्वत्व, आधिपत्य के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। प्रार्थी ने संवत् 1927 में जागीरदार द्वारा पट्टे की फोटोप्रति पेश की है, परंतु फोटोकॉपी साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता को अपने स्वयं के साक्ष्य/आदेश से राजकीय अभिलेख से उक्त पट्टे को साबित करना होगा।

आदेश

9. उपर्युक्त विवेचनानुसार एवं निष्कर्षानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा मिसल सं. 81/2016–17 में बुक सं. 75 में से जारी पट्टा विलेख सं. 80 दिनांक 06.07.2017 बहक श्री सुनील गोदारा पुंत्र धर्माराम को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प सं. 03 दिनांक 06.02.2017, प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 20.02.2017, संकल्प सं. 4 दिनांक 06.03.2017 को उक्त पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।
10. आवेदक सुनील गोदारा नए सिरे से आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है तथा ग्राम पंचायत आवेदन प्राप्त होने पर नियमों में विहित प्रक्रिया का अक्षरशः पालना करते हुएं आवेदक का प्रार्थना पत्र निस्तारित करने हेतु स्वतंत्र है तथा हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत समस्त आक्षेपों का विधि प्रक्रिया अनुसार निपटारा करने के पश्चात् आक्षेपित भूमि का विक्रय करने/नहीं करने हेतु स्वतंत्र है।
11. निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत पालासनी को मूल अभिलेख लौटाया जावे।
12. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13. अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर